

निबन्धन प्रार्थना-पत्र

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-11, 1966 की धारा 8 की उपधारा 1 के अधीन जारी किया गया।

प्रमाणित किया जाता है कि/डा. टी. कल्याण को आपरेटिव मार्केटिंग प्रेडरेशन लि. को सहकारी समिति के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए निदेशक, उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, उ.प्र., लखनऊ तथा अन्य द्वारा, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-11, 1966 की धारा 6 के अधीन दिया गया प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किया गया है और उक्त समिति निबन्धन के लिए प्रार्थना-पत्र के साथ प्रेषित उप-विधियों सहित, उक्त अधिनियम के अधीन, उक्त प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित शर्तों और उक्त अधिनियम, तदन्तर्गत बनी नियमावली और जारी किये गये सामान्य या विशेष आदेशों तथा उक्त समिति की उपविधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उत्तर प्रदेश की, शीर्षस्त समिति के रूप में निबन्धित की गयी है।

मुहर
निदेशक
उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण (मंत्रालय)
मुख्य निबन्धक, औद्योगिक सहकारी समितियों
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

निबन्धक,
औद्योगिक सहकारी समितियाँ

उत्तर प्रदेश राज्य
हाटी कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड की उपविधियों
 (एच.सी.एम.एफ.)

1. नाम व पता :- यह समिति/हाटी कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ कही जायेगी। इसका पंजीकृत पता पत्रालय-लखनऊ, तहसील-लखनऊ, जनपद-लखनऊ होगा। पते में किसी प्रकार परिवर्तन उपविधि में संशोधन करके लिया जायेगा।
2. परिभाषायें :-
 - 1क। अधिनियम का तात्पर्य ऊ.ओ.ओ सहकारी समितियों अधिनियम, 1965 अधिनियम सं०-11 सन 1966 होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश में प्रभावी था, और समय-समय पर संशोधित हुआ।
 - 1ख। "प्रबन्ध कमेटी" का तात्पर्य फेडरेशन के प्रबन्धक समिति जो कि इन उपविधियों के प्राविधानों के अनुसार गठित हुई, और निदेशक का तात्पर्य परिषद का सदस्य होगा।
 - 1ग। सामग्री का तात्पर्य कच्चा या प्रसंस्कृत औद्योगिक उत्पाद, पैक करने के पदार्थ, व अन्य भण्डार एवं उपकरण जिसकी आवश्यकता औद्योगिक उत्पाद उत्पादन तथा विपणन में पड़ती है।
 - 1घ। अध्यक्ष का तात्पर्य समिति का वह सदस्य, जिसे अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अनुसार फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना अथवा नामित किया गया हो। वह फेडरेशन के विकास एवं प्रगति के लिये उत्तरदायी होगा और उसे यह सुनिश्चित करना है, कि समिति द्वारा लिये निर्णयों का प्रबन्ध निदेशक/मुख्य अधिशासी द्वारा क्रियान्वयन समुचित रूप से किया जा रहा है।
 - 1ङ। फेडरेशन का तात्पर्य प्रादेशिक कोऑपरेटिव औद्योगिक मार्केटिंग फेडरेशन होगा।
 - 1च। सामान्य बैठक का तात्पर्य सामान्य निष्ठा की बैठक होगा, जिसमें साधारण और विशेष सामान्य बैठक निहित है।
 - 1। औद्योगिक "उत्पाद" का तात्पर्य, औद्योगिक फसलों यथा मूंग, मूंग, शाकभाजी आलू, मसाला, इनके बीज तथा रोपण सामग्री, गहूँ एवं सम्बन्धित उत्पाद मुख्य औद्योगिक एवं सुगंधित पौधे एवं उत्पाद आदि तथा इन उत्पाद प्रसंस्कृत पदार्थ एवं दैतिक उत्पाद एवं शक्ति में जारी संशोधित औद्योगिक उत्पादों से है।

8
 निदेशक
 उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड
 लखनऊ

- ज. "विशेषज्ञ समूह" का तात्पर्य जैसा कि उपविधि सं०-३५ में वर्णित है, होगा।
- झ. "सदस्य संघ" का तात्पर्य औद्योगिक संघ सिद्धांत फेडरेशन सं०-३३ है, होगा।
- ञ. "सदस्य" का तात्पर्य उप विधि संख्या -५ के अनुसार सदस्य से है।

३. पुस्तक-निदेशक का तात्पर्य संघ के पुस्तक निदेशक से है जो अधिनियम की धारा ३५ के अनुसार नियमानुसार किया गया है।

विशेष

"औद्योगिक संघ" का तात्पर्य ३०५० सहकारी समितियाँ अधिनियम-१९८५ के अधीन औद्योगिक सहकारी संघ के रूप में पंजीकृत "एक" केन्द्रीय सहकारी संघ से है।

द. "निकट सम्बन्ध" का तात्पर्य, ऐसा सम्बन्ध जैसा कि नियमों में परिभाषित है।

ड. कार्यक्रम समिति का तात्पर्य उपविधि सं०-३६ के अन्तर्गत गठित समिति से है निबन्धक का तात्पर्य अधिनियम की धारा-३५ या अन्य व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों वाले आयुक्त या अन्य व्यवस्था के यदि कोई है।

त. "विनियम" का तात्पर्य अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत बनाये गये विनियम से है।

थ. "नियम" का तात्पर्य अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों से है। औद्योगिक उत्पादों में कि०ग्रा० कुत्तल, मी० टन, इकाइयों, इकाई के रूप में अभिव्यक्त है।

द. "संघ" का तात्पर्य सहकारी संघ ३१ अप्रैल से ३१ मार्च तक से होगा।

चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव परिणाम घोषित करने की तिथि से १२ माह के

"राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है। नवस्त शब्दास्वांशिक अभिव्यक्तियों जिनका इन उपविधियों में प्रयोग किया गया है, और उसमें

परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु सहकारी समितियाँ अधिनियम-१९६५ में परिभाषित किया गया है, और उसके अन्तर्गत विनियम बनाये गये हैं, उनका वह तात्पर्य होगा जो कि उस अधिनियम और नियमों में है।

इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा।

४. मुख्य उद्देश्य:-

औद्योगिक उत्पादों और उसके प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्यात कुशलता पूर्वक प्रबन्ध करके औद्योगिक क्षेत्रों का आर्थिक विकास करने हेतु ज्ञान कलाप संचालन करना।

उत्तर प्रदेश सरकार
 ३. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

कुमश:- ३,

६ जे आ ५४

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चुनाव परिणाम घोषित करने की तिथि से १२ माह के "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है। नवस्त शब्दास्वांशिक अभिव्यक्तियों जिनका इन उपविधियों में प्रयोग किया गया है, और उसमें परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु सहकारी समितियाँ अधिनियम-१९६५ में परिभाषित किया गया है, और उसके अन्तर्गत विनियम बनाये गये हैं, उनका वह तात्पर्य होगा जो कि उस अधिनियम और नियमों में है।

निष्पन्न किया गया हो, अथवा किसी औद्योगिक संघों के दृष्टिकोण को उसमें, अनुरोध पर हस्तगत करना ।

151
property

फैडरेशन के व्यवस्था हेतु चल अथवा अचल सम्पत्ति का स्वामित्व लेना, रखना पट्टे, पर या किराये पर लेना तथा यदि व्यवसाय हेतु आवश्यक न हो तो उसका निस्तारण करना ।

161

सदस्य संघों या उनके सदस्यों के द्वारा अन्य नये उत्पाद उगाने को प्रोत्साहन देना ।

171

थ्रिफ्ट की योजना तैयार करना और प्रोत्साहित करना ।

181

थ्रिफ्ट को प्रोत्साहन, स्वयं सहायता और सदस्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहन करना ।

191

सदस्य संघों के सामान्य हितों के मामलों को हस्तगत करना ।

201

फैडरेशन के उद्देश्यों एवं क्रिया कलापों के प्रचार का कार्य करना ।

211

औद्योगिक संघों और प्रारम्भिक औद्योगिक सहकारी सन्धियों के सन्दर्भ में धारा-123 के अन्तर्गत सहकारी संधीय प्राधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त होने पर उनके पर्यवेक्षण और उनके लिये पर्यवेक्षण शुल्क निर्धारित करना तथा संग्रह, ऐसी दर पर जैसा कि निबन्धक द्वारा अनुमोदित हो ।

221

सम्बद्ध सदस्य संघों का समयबद्ध पर्यवेक्षण करना । कितनी सदस्य संघ के संचालन की संस्तुति का अधिकार भी फैडरेशन का होगा ।

231

अधिनियम, नियम तथा विनियमों के पूर्वाग्रह के बिना सदस्य संघ में दूसरे स्थान के लिये एक पूल या, अधिकारियों का एक समूह बनाए रखना ।

241

सामान्य और पर वह सब करना जो फैडरेशन के कितनी लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ती करने के लिये उचित या उसकी ओर प्रवृत्त करने वाला हो ।

दस्यता :-

1
2
3
4
5

फैडरेशन की साधारण सदस्यता निम्नांकित हेतु होगी ।

1क11-

औद्योगिक संघ, जिला स्तर।

2-

राज्य सरकार

3-

अन्य सभितियों के सदस्य

4-

नाम मात्र के सदस्य

फैडरेशन को यह अधिकार होगा कि साधारण सदस्यों को उनकी अंश पूंजी और / अथवा अण का उन शर्तों पर जो परिषद समय-समय पर निर्धारित करे अंशों अंशदान करें।

सदस्य संघों का समयबद्ध पर्यवेक्षण करना । कितनी सदस्य संघ के संचालन की संस्तुति का अधिकार भी फैडरेशन का होगा ।

अधिनियम, नियम तथा विनियमों के पूर्वाग्रह के बिना सदस्य संघ में दूसरे स्थान के लिये एक पूल या, अधिकारियों का एक समूह बनाए रखना ।

सामान्य और पर वह सब करना जो फैडरेशन के लक्ष्य या उद्देश्य की पूर्ती करने के लिये उचित या उसकी ओर प्रवृत्त करने वाला हो ।

त
ल
से
ग
क
क
में
र
र
ला
म
में

से सदस्य को फेडरेशन से **नाजायज** लाभ हुआ हो अथवा फेडरेशन को आर्थिक हानि या अन्य कठिनाइयों में डाल दिया हो ।

कोई सदस्य जो इस प्रकार हटाया या बहिष्कृत किया गया हो फेडरेशन का सदस्य उसी तिथि से नहीं रह जायेगा, जिस तिथि को ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ है ।

19.1क) कोष की स्थापना निम्नांकित के द्वारा होगी :-

111 प्रवेश शुल्क

✓ 121 शेयर निर्गति

131 सदस्य द्वारा जमा

141 ऋण एवं प्रति ऋण पत्र से

151 अनुदान, सहायता और राहत

161 भेंट व दान

17.111 प्रवेश शुल्क 100/- की दर से सभी नये सदस्यों द्वारा देय होगी ।

121 प्रवेश शुल्क न तो वावत होगी और नहीं हस्तान्तरणीय होगी ।

✓ 18.111 संघ की अधिकृत **अंश प्रेमी** होगी जो कि अंशों

में विभक्त होगी और प्रत्येक शेयर का मूल्य होगा ।

121 अंश की धनराशि आबंटन के अनुसार एक मुहता देय होगी ।

✓ 1101 अंश के लिए आवेदन-पत्र लिखित होगा और निदेशक परिषद द्वारा निस्तारित किये जायेंगे ।

1111 अनुदान किये गये अंश का प्रत्येक अंशों के लिये पृथक् सं० से युक्त एक अंश प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा । सदस्य द्वारा धारित अंश प्रमाण-पत्र को छति

पहुँचने पर या खो जाने की दशा में निदेशक मंडल द्वारा बदले में लिखित

अनुमोदन पर और क्षति पूर्ति बन्ध पत्र के विस्तृत निर्धारित शुल्क अदा करने पर

द्वितीय प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा ।

1121 नियम-69 में उल्लिखित शर्तों के अलावा सदस्य द्वारा लिया गया अंश

अस्तान्तरणीय होगा ।

1131 प्रत्येक सदस्य कम से कम एक 1000 रु० का अंश ग्रहण करेगा ।

114क) सिवाय अधिनियम और नियमों के प्राविधानों के सदस्य द्वारा धारित शेयर को वापस या निवृत्त नहा किया जा सकेगा ।

1ख) राज्य सरकार द्वारा धारित अंशों को दोनों पार्टियों के बीच इकरार

1151 नामों की शर्तों के अनुसार निवृत्त कर सकेगा ।
अधिनियम और नियमों के अनुसार वार्षिक बँठक में निर्धारित किये गये दायित्व के अधीन बोर्ड द्वारा अनुमोदित शर्तों पर फेडरेशन जमा स्वीकर कर सकता है और धन ले सकता है ।

1161 फेडरेशन की सम्पत्ति एवं कोष का उपयोग उसके प्रयोजनों को कार्यान्वित करने में किया जायेगा । कोष का कोई भाग जिसकी आवश्यकता न हो, अधिनियम और नियमों के अनुसार नियोजित किया जायेगा ।

उत्तरदायित्व 11 सदस्य का दायित्व उसके द्वारा लिये गए शायर के नाम मात्र मूल्य तक सीमित होगा ।

121 प्रत्येक सदस्य :-

1क1 फेडरेशन द्वारा निर्धारित उपाजर्न लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाएगा

1ख1 फेडरेशन द्वारा निर्धारित गुणवत्ता एवं स्तर के अनुसार ही उपाजर्न, निर्माण इत्यादि कार्य सम्पादित करेगा ।

1ग1 संघ के अधिकार क्षेत्र के बाहर विनयन का कार्य फेडरेशन के अध्यक्ष से किया जायेगा ।

131 अपने समस्त क्रिया-कलापों से संघ, निदेशकों के अनुत्तर कार्यदलों, योजनाओं अभिलेखों और सूचनाओं से बद्ध रहेगा जैसे कि :-

1क1 उपाजर्न

1ख1 भिन्न-भिन्न ब्राण्ड/ट्रेडमार्क के अन्तर्गत पैकिंग, उत्पादन एवं विणयन

1ग1 समितियों का गठन

1घ1 तकनीकी निवेश कार्यक्रम

1ङ1 प्रशासकीय एवं प्रबन्धकीय पहलू ।

1च1 कीमत, गुणवत्ता का स्तर, और ।

1ज1 कच्चे माल एवं पैकिंग पदार्थों को उपलब्ध करना ।

1झ1 लेखा

1ड1 सदस्यों के उपर्युक्त तथ्यों इसी प्रकार के अन्य कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायित्व होने पर

परिणामतः होने वाली हानि के लिये उन्हें उत्तरदायी ठहराया जायेगा, जैसा कि फेडरेशन की निदेशक परिषद द्वारा निर्धारित किया जाय ।

क्रमशः- 9,

स्व. निदेशक, श्री. निदेशक महाराष्ट्र शासन
राज्य प्रेम, सावरण
निदेशक, श्री. निदेशक महाराष्ट्र शासन
राज्य प्रेम, सावरण
निदेशक (मो. 90700)

निकाय-

1181 फेडरेशन का सर्वोच्च प्राधिकार सामान्य निकाय में निहित होगा, जिनमें निम्नांकित शामिल होंगे ।

1क। साधारण सदस्य के रूप में प्रत्येक सदस्य संघ से निर्वाचित एक प्रतिनिधि ।

1ख। फेडरेशन के समस्त नामित निदेशक, जिसमें निबन्धक अप्रवा उनका नामित व्यक्ति भी सम्मिलित होगा यदि राज्य सरकार ही जो कि राज्य सरकार का प्रतिनिधि माना जायेगा ।

1ग। उपरोक्त अनुच्छेद - 81क। में उल्लिखित प्रतिनिधि सदस्य संघ का अध्यक्ष होगा, जिसे कि नियम-407 से 432 अथवा 444 के अनुसार अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जैसी भी स्थिति हो और सदस्य संघ जिसका कि वह प्रतिनिधि है, के लिये नियमों और उपनियमों में निर्धारित किसी प्रकार की अपात्रता से ग्रस्त न हो ।

1191क। वह व्यक्ति जो पहले से प्रतिनिधि है, इस रूप में कार्य नहीं कर सकेगा यदि वह उपनियम-31 में उल्लिखित किसी अपात्रता को रखता हो ।

11। उस समिति जिसका कि वह प्रतिनिधि है, सदस्य न रह गया हो ।

12। जिस समिति का वह सदस्य/प्रतिनिधि है, वह संघ का सदस्य न रह गया हो

13। वह उस समिति का सदस्य न रह गया हो जो, किसी दूसरे समिति का सदस्य थी, जिसने उसे संघ में प्रतिनिधित्व हेतु अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना हो ।

14। वह उस कार्यलय को छोड़ दिया हो जिसके कारण, संघ के उपनियमों के अन्तर्गत वह प्रतिनिधि था ।

15। वह समिति जिसका वह प्रतिनिधि था अधिनियम की धारा-72 के अन्तर्गत निर्द्द हो गयी हो ।

16। वह समिति जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो किसी अन्य सहकारी समिति/समितियों में समाहित हो गयी हो ।

17। वह समिति जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है दो या दो से अधिक समितियों में विभाजित हो गयी हो ।

18। उस प्रतिनिधि के रूप में अपने कार्यालय से त्याग पत्र दे दिया हो ।

19।

निदेशक
समान नाम का प्रसंस्करण (नियम 30)
प्रतिनिधि, औद्योगिक संघ, सविस्वा
संसार प्रदेश, 2023

1ग। उपविधि 33 के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्ध कमेटी के तदर्थों का निर्वाचन, यदि होना हो ।

1घ। वर्ष के रोकड़ पत्र और वार्षिक प्रतिवेदन पर यदि लेखा परीक्षण पूरी हो गई हो-विचार ।

1ङ। वर्ष के लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर यदि लेखा परीक्षा पूर्ण हो गई हो तो नियत रीति से विचार ।

1च। यदि पूर्व वार्षिक अधिवेशन में व उनके गत वर्ष के रोकड़ - पत्र, वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा न होने के कारण विचार न हो सका-तो उन पर विचार ।

1छ। नियमों में की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए आगामी वर्ष के लिये फेडरेशन का अधिकतम दायित्व निर्दिष्ट करना ।

1झ। आगामी वर्ष के बजट पर विचार ।

1ट। नई उपविधियों को अपनाना या प्रचलित उपविधियों में संशोधन या अमल करना ।

1ठ। स्वीकृत बजट से अधिक खर्चों पर स्वीकृति प्रदान करना ।

1ड। अधिनियमों नियमों एवं उप नियमों के अनुसार मुदलाभ का निस्तारण ।

1द। उप नियमों के अनुसार परिषद द्वारा तत्तुत सदस्य के निष्पत्तन की पुष्टि करना ।

1त। उपनियमों प्राविधानों के अन्तर्गत अभिव्यक्त किती अन्य मामले अध्या निदेशक समिति द्वारा तज्ञान में लाये गए या अधिनियम, नियम और इत उपनियमों के अनुसार अध्यक्ष की अनुमति से लाये गये बिन्दुओं पर विचार करना ।

1थ। अध्यक्ष तद्वि समिति के तमस्त तदर्थों पर किये व्यय की समीक्षा करना ।

निदेशक
नवान पत्र द्वारा प्रकाशित (३०३०)
संविधान सचिवालय
असम, शिलांग

क
क
में
र
ला
म
में

1क। वार्षिक बैठक के ये उक्त कार्य संवाहन हेतु सामान्य निकाय की उपयुक्त शक्तियों और कर्तव्यों के अतिरिक्त और अधिनियम, नियम, और उपनियमों के अधीन निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होंगे।

1ख। निदेशक परिषद के नियमों के विरुद्ध अपीलें, यदि कोई हो को सुनना।

1ग। नियमों एवं प्राविधानों के अनुसार निदेशकों के अग्रण नियम तहत फेडरेशन के कार्य व्यापार के संवाहन हेतु नियमावली बनाना।

1घ। उपनियमों में संशोधन करना।

1च। निबन्धक अधवा उनके अधीनस्थ की जाँच टिप्पणियों पर तथा निदेशक परिषद की रिपोर्ट पर विचार करना।

1छ। फेडरेशन द्वारा गृहीत संघों हेतु प्रगतिशील क्रियाकलापों

की अत्यंत सहायताओं की प्रगति एवं तीसरा विवरण एवं

1ज। उपनियमों में संशोधन पर कितनी सदस्यों के निष्कासन निषेधा सामान्य निकाय की बैठक के अध्ययन की अनुमति से

1झ। अतिरिक्त सामान्य निकाय द्वारा उक्त के अलावा उक्त एवं को उक्त लिखित अधिकारों एवं कर्तव्यों का प्रयोग कर सकत

1ण। नियमों एवं प्राविधानों के अनुसार निदेशकों के अग्रण नियम सामान्य निकाय की बैठकों की कार्यसूची की नोटिस, जितमें

1त। तिथि स्थान एवं समय का उल्लेख हो, निकाय जैता कि नियम 2 की व्यवस्था के अधीन किया गया है, कम से कम 15 दिन पूर्व

1थ। तमस्त सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी, साथ ही उक्त की प्रतिलिपि निबन्धक को यदि उनके द्वारा ऐसी अपेक्षा की गयी

1द। प्रतिबद्धता यह है कि कम से कम 45 दिन की नोटिस बैठक के लिये आवश्यक होगी जितमें पदाधिकारियों का चुनाव होता है

1ध। नोटिस जारी होने की तिथि को फेडरेशन के नोटिस पट्टिका पर कार्यक्रम सूची का एक प्रति लगायी जायेगी। आये प्रतिबन्ध यह भी है कि वार्षिक सामान्य बैठक के मामले में नोटिस के साथ

1ण। वार्षिक सामान्य निकाय द्वारा उक्त कि। इस अंग एवं को उक्त लिखित अधिकारों एवं कर्तव्यों का प्रयोग कर सकत

1त। सामान्य निकाय की बैठकों की कार्यसूची की नोटिस, जितमें तिथि स्थान एवं समय का उल्लेख हो, निकाय जैता कि नियम 2

की व्यवस्था के अधीन किया गया है, कम से कम 15 दिन पूर्व तमस्त सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी, साथ ही उक्त की

प्रतिलिपि निबन्धक को यदि उनके द्वारा ऐसी अपेक्षा की गयी

निदेशक परिषद
उपनिबन्धक एवं वार्षिक प्रशासक (नोडल)
संसाधन, शैक्षणिक भाग, निकाय

कार्यवाही रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि आडिट प्रमाण-पत्र यदि उपलब्ध हो। और तबत पत्र लगाई जायेगी। इस प्रकार की नोटिफिकेशन सदस्य को न प्राप्त होने पर सामान्य निकाय की बैठक की कार्यवाही को अवैध नहीं घोषित करेगा।

(23)

क। सामान्य निकाय के सदस्य को जो सामान्य बैठक में काई प्रस्ताव रखना चाहता तो, इसकी लिखित विवरण 7 दिन पूर्व प्रबन्ध निदेशकों देना पड़ेगा।

ख। निम्नांकित मामलों में पूर्व नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी:

1। रेजेन्डा के कार्यक्रम में परिवर्तन करने का प्रस्ताव।

2। बैठक के स्थान अथवा निरस्तीकरण का प्रस्ताव।

3। रेजेन्डा के अगले बिन्दु कार्यवाही करवाने का प्रस्ताव।

4। बैठक की तमध रिपोर्ट प्रस्तुत करने अथवा मामले की जाँच हेतु समिति नियुक्ति करने का प्रस्ताव।

5। किसी प्रश्न को वोट के लिये खोलने का प्रस्ताव।

6। अत्यावश्यक होने के कारण बोर्ड द्वारा सामान्य निकाय को तन्दभित मामले को हस्तगत करने का प्रस्ताव।

7। उपस्थित सदस्यों के 2/3 के बहुमत रखा गया प्रस्ताव।

(23) 1241

अ। प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा, किन्तु प्रतिनिधि को मत देने की इजाजत नहीं दी जायेगी। लिखित विवरण 7 दिन पूर्व प्रबन्ध निदेशकों सामान्य निकाय की बैठक का तंवालन अध्यक्ष करेगा। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो उपस्थित में से अपने बीच किसी सदस्य को बैठक तंवालन करने के लिए चुन सकते हैं। बराबरी के मामलों में अध्यक्ष द्वितीय निर्णायक मत देगा। अध्यक्ष अथवा कोई व्यक्ति उस बैठक नहीं ले सकेगा, जिसमें उन मामलों पर सविचार विमर्श होना हो। जिसमें उसके अहित निहित हों। करने अथवा मामले की जाँच हेतु।

1251
निदेशक
संसार पत्र बाबू प्रकाश (4080)
पुर विभाग, गीत
वर्ग

11। सामान्य बैठक के लिए निर्धारित आधे घण्टे में यदि कोरम नहीं

15। किसी पुराना होता है, तो बैठक यदि वार्षिक सामान्य बैठक हो तो

16। उपस्थित किये जाने की प्रतिधितेगा। 6 दिनों अती तमय और

17। उपस्थित किये जाने की प्रतिधितेगा। 6 दिनों अती तमय और

18। उपस्थित किये जाने की प्रतिधितेगा। 6 दिनों अती तमय और

19। उपस्थित किये जाने की प्रतिधितेगा। 6 दिनों अती तमय और

20। उपस्थित किये जाने की प्रतिधितेगा। 6 दिनों अती तमय और

21। उपस्थित किये जाने की प्रतिधितेगा। 6 दिनों अती तमय और

22। उपस्थित किये जाने की प्रतिधितेगा। 6 दिनों अती तमय और

23। उपस्थित किये जाने की प्रतिधितेगा। 6 दिनों अती तमय और

स्थान के लिए स्थगित कर दी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि यदि बैठक सामान्य निकाय के सदस्यों को मॉग पर बुलाई गई हो तो कोरम के अभावमें निर्धारित समय के एक घन्टे के निगे रोक दी जायेगी।

22 उपवाक्य 11 के अन्तर्गत आच्छादित न होने वाले मामले में स्थगित बैठक ऐसी तिथि या समय में आयोजित होगी जैसा कि बोर्ड निर्धारित करें। उस मीटिंग के लिए एजेन्डा में अधिसूचित करें।

23 जो मामला सिवाय मौखिक बैठक के अपूर्ण छोड़े गए मामलों में स्थगित बैठक में नहीं उठाये जायेंगे।

27. सामान्य बैठक में विचार दिये गये तथा निर्णय सभी मामलों की कार्यवाही की पुस्तिका में अभिलिखित किया जायेगा, और कार्यवृत्ति पर बैठक का संचालक एवं फेडरेशन का प्रबन्ध निदेशक हस्ताक्षर करेगा।

28. 131 प्रबन्ध समिति में निम्नांकित 15 निदेशक होंगे।

- 11 सामान्य निकाय द्वारा चुने गए सदस्य - 7
- 12 राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य - 7
- 13 राष्ट्रीय भागवानी बोर्ड एन प्रतिनिधि - 1
- 14 विस्तीय रस्था का प्रतिनिधि - 1
- 15 प्रबन्ध निदेशक पादेभिक को आपरेटिव माके दिग्फेडरेशन लि-1
- 16 एक प्रतिनिधि महिला तथा निर्बल वर्ग का हक का लिए।

7. विभागीय आदेश एवं प्रत्येक वर्ष (1954-55) का प्रारंभिक - 1-1

131 प्रथम मनोनीत प्रबन्ध समिति - इन उपविधियों में किसी बात के रहते हुयेभी फेडरेशन का प्रथम प्रबन्ध समिति प्रथम पाँच वर्षों के लिए एवं एक-एक वर्ष की वार्षिक समयावधि के प्राविधान सहित अधिकतम आठ वर्ष के लिए राज्यसरकार व निबन्धक द्वारा मनोनीत किया जायेगा। सरकार/निबन्धक को यह अधिकार होगा कि वह नामित प्रबन्ध समिति की संख्या गणना निर्धारित करें। इस नामित परिषद की अवधि समाप्त होने पर 28 131 के अनुसार प्रबन्ध समिति का गठन निबन्धक द्वारा किया जायेगा।

131 नामित प्रबन्ध समिति के सदस्यों में हुये किसी भी आकस्मिक रिक्तता को राज्य सरकार निबन्धक की सहमति से भर सकती है। प्रत्येक तीन वर्ष पर प्रबन्ध समिति चुने गए सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव करेगी, जिसका कार्यकाल 131 तीन वर्ष का होगा। राज्य सरकार के नामित सदस्य सहित जिसके प्रभार में उद्यान विभाग होगा।

131 1. समिति के चुने प्रगर सदस्यों का कार्यकाल चुनाव परिणाम घोषित होने की तिथि से तीन वर्ष का होगा। अध्यक्ष का भी कार्यकाल प्रबन्ध समिति के कार्यकाल तक होगी।
2. नियम-435 अथवा अधिनियम की धारा -35 की उपधारा-3 के उपवाक्य-अ के अन्तर्गत स्थापित प्रबन्धसमिति के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा किये गये कार्य की अवधि को उपविधि के अन्तर्गत पात्रता के प्रयोजन से नहीं गणना नहीं की जायेगी।

3. समिति की कार्यवाही इस आधार पर अवधि नहीं होगी कि परिषद प्रबन्ध समिति के सदस्यों में हुये किसी भी आकस्मिक रिक्तता को राज्य सरकार निबन्धक की सहमति से भर सकती है। प्रत्येक तीन वर्ष पर प्रबन्ध समिति चुने गए सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव करेगी, जिसका कार्यकाल 131 तीन वर्ष का होगा। राज्य सरकार के नामित सदस्य सहित जिसके प्रभार में उद्यान विभाग होगा।

निदेशक
राज्य सरकार (1954)

Handwritten signature and scribbles.

13। वह धोखाधड़ी करने के कारण निकाल दिया गया हो, यह सा सरकार सेवा सा सहकारी सेवा या निगम के निकाय में भेईमानी का आवरण किया हो, और बर्खास्तगी का आदेश अपील में खारिज न किया गया हो या उसे बहिष्कृत कर दिया गया हो प्रतिबन्ध यह है कि यह आपत्रता बर्खास्तगी आदेश की तिथि से 5 वर्ष के उपरान्त मान्य नहीं होगी।

14। वह निबन्धक के आवेदन में शामिल हो अथवा ऐसी सहकारी समिति के प्रबन्ध समिति का सदस्य था, जिसे निबन्धक द्वारा धारा-82 की छूट धारा 121 के अधिनियम 131 के अन्तर्गत इत आधार पर की बुजीकरण धोखे से कराया गया है, भंग कर दिया गया हो, और निबन्धक के ऐसा आदेश को अपील में उलट न गया हो।

15। उसने त्यागपत्र दे दिया जो और परिषद द्वारा उसे स्वीकार कर लिया गया हो।

16। वह अन्य प्रकार के अधिनियम भी इसी उप-विधियों के प्रावधानों के अन्तर्गत अवर्द्ध हो गया हो।

17। स्वतंत्रता के समाप्ति।

18। कर्तव्य पालन न कर पाया हो जैसा कि उपविधियों में उल्लिखित है।

19। वह अंग या प्रतिज्ञा पत्र अदा करने में असफल रहा हो जैसा कि समिति पद द्वारा आह्वान किया गया हो।

20। यदि तंत्र जिसका कि वह प्रतिनिधि है, को आर्डिने के दौरान वर्ग "ती" या "डी" में रखा गया हो।

21। यदि फेडरेशन के किसी कर्मचारी का हिस्सेदार है।

22। यदि वह तंत्र का प्रतिनिधि न रह जाय, जिसका कि वह प्रतिनिधित्व करता है।

39-

प्रबन्ध समिति की बैठक उतनी बार हो सकती है जितनी कि स्वतंत्रता लेन-देन के लिए आवश्यक हो, किन्तु माह में एक बार अवश्य बैठक होगी बैठक बुलाने के लिए प्रबन्ध निदेशक 10 दिन पूर्व सूचना भेजेगा। परिषद के कार्य संचालन के लिए कोरम "7" सदस्यों का होगा जिन में से कम से कम 3 सदस्य चुने हुए प्रतिनिधि होंगे।

समिति की बैठक का आयोजन प्रबन्ध निदेशक द्वारा अध्यक्ष के

पद पर होगा। प्रबन्ध निदेशक को अधिकार होगा कि अध्यक्ष के अभाव में किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करे।

यदि एक सदस्य के अभाव में यह प्रतिनिधित्व है, तो प्रबन्ध निदेशक को अधिकार होगा कि वह प्रतिनिधि के अभाव में किसी अन्य सदस्य को प्रतिनिधि के पद पर नियुक्त करे।

यदि प्रबन्ध निदेशक के अधिकार कर्मचारी का हिस्सेदार है।

यदि प्रबन्ध निदेशक का प्रतिनिधित्व न रह जाय, तो प्रबन्ध निदेशक को अधिकार होगा कि वह प्रतिनिधि के अभाव में किसी अन्य सदस्य को प्रतिनिधि के पद पर नियुक्त करे।

यदि प्रबन्ध निदेशक का प्रतिनिधित्व न रह जाय, तो प्रबन्ध निदेशक को अधिकार होगा कि वह प्रतिनिधि के अभाव में किसी अन्य सदस्य को प्रतिनिधि के पद पर नियुक्त करे।

स्वतंत्रता के समाप्ति।
 कर्तव्य पालन न कर पाया हो जैसा कि उपविधियों में उल्लिखित है।
 वह अंग या प्रतिज्ञा पत्र अदा करने में असफल रहा हो जैसा कि समिति पद द्वारा आह्वान किया गया हो।
 यदि तंत्र जिसका कि वह प्रतिनिधि है, को आर्डिने के दौरान वर्ग "ती" या "डी" में रखा गया हो।
 यदि फेडरेशन के किसी कर्मचारी का हिस्सेदार है।
 यदि वह तंत्र का प्रतिनिधि न रह जाय, जिसका कि वह प्रतिनिधित्व करता है।

कहने पर या कम से कम पाँच निदेशकों की लिखित इच्छा पर या निबन्धक के आदेश पर किया जायेगा ।

का कोर्ड भी सदस्य उत चर्चा में भाग नहीं लेगा । जितमें उतका कोर्ड व्यक्तिगत मामला निहित हो ।

तत्कालिक महत्व के मामलों, कजिनका कि परिषद की बैठक तक इन्तजार नहीं किया जा सकता, तभी सदस्यों में परिषद वितरित कर चर्चा करायी जा सकती है, और इत प्रकार अनुमोदित प्रस्ताव पर तभी सदस्यों का हस्ताक्षर होगा, इतका वही प्रभाव होगा और इती प्रकार बन्धन कारी होगा, जैता कि प्रस्ताव परिषद की बैठक में पात किया गया हों । और इते बैठक के कार्य-वृत्त में शामिल किया जायेगा । तथा अगली बैठक में पढा जायेगा ।

32. समिति द्वारा किये गये समस्त कार्य या कितनी व्यक्ति द्वारा परिषद के सदस्य के रूप में किये गये कार्य, सेता होते हुए भी यदि बाद में पता चले कि सेती परिषद के गठन या व्यक्ति की नियुक्ति में कोर्ड त्रुटि हो गयी थी, वैध होगा माने परिषद सदस्य को नियुक्त किया गया हो ।

33. फेडरेशन की नीतियों की निर्धारण की शक्ति प्रबन्ध समिति में निहित होगी । प्रबन्ध समिति इस प्रकार की समस्त शक्तियों का इस्तेमाल करेगा, और सेते समस्त इकरारनामें करेगा, सेते समस्त प्रबन्ध करेगा, सेती समस्त कार्यवाहियों करेगा सेते समस्त कार्य करेगा, जैता कि फेडरेशन को समुचित प्रबन्ध और उतके हितों की प्राप्ति में सहायक हो, जितके लिये फेडरेशन स्थापित किया गया है, और अधिनियम के प्राविधानों अथवा सेते अधिनियम जो बाद में बनाये जायें, ए नियम जो राज्य सरकार द्वारा पारित किये जायें, के अनुपालन में तथा फेडरेशन की उपविधियों के अनुपालन के अन्तर्गत फेडरेशन के हितों की रक्षा के लिये तथा उते बढ़ावा देने को आवश्यक हो । इस उप-विधियों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के पर्याग्रह के बिना निम्नांकित शक्तियाँ तथा अधिकार दिये जाते हैं ।

- 1. पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करना ।
- 2. नये सदस्यों को प्रवेश देना ।
- 3. आवंटन, आहरण, निवृत्त, नुकसान और अंग हस्तांतरण के आवेदन पत्रों का निस्तारण ।
- 4. अंग या अंग पत्र लेना और जमा स्वीकार करने की शर्तों का निर्धारण करना ।

निदेशक, शीब निरक्षण (40300)
उपान पत्रों का प्रकरण (40300)
निदेशक, शीब निरक्षण नं. 1 न. सतिवाम

- 13। वार्षिक प्रतिवेदन, तुलनपत्र, बैलेन्स शीट तथा अन्य विवरण पत्र जिते निबन्धक द्वारा निर्धारित किया गया हो, वार्षिक बैठक के समय प्रस्तुत करना ।
- 14। वार्षिक सामान्य बैठक हेतु वार्षिक बजट की संस्तुति करना ।
- 15। अधिनियम और नियम और उपविधियों के प्राविधानों और सेवा शर्तों जो कि विधि 35 के अन्तर्गत नहीं है, के अन्तर्गत फेडरेशन की स्टाफ संख्या का निर्धारण । निबन्धक के आदेशानुसार विशेषज्ञ पैनल राज्य सरकार द्वारा बनाये गये केन्द्रीयतः कैंडर प्राधिकरण के अलावा स्टाफ की भर्ती के लिए कितनी समिति संस्तुत करना ।
- 16। फेडरेशन द्वारा धारित राज्य सम्पत्ति को पृष्ठठांकित करना, बेचना या हस्तांतरण करना ।

- 17। फेडरेशन से सम्बन्धित अवन सम्पत्ति को बेचना ।
- 18। उपविधियों के अधीन व्यवसाय संहिता तथा विनियमों का निर्माण ।
- 19। फेडरेशन के कर्मचारियों के लिए यात्रा-भत्ता तथा अन्य भत्तों के लिए नियम बनाना ।

19। फेडरेशन के कर्मचारियों के लिए यात्रा-भत्ता तथा अन्य भत्तों के लिए नियम बनाना ।

- 20। फेडरेशन के उपयोगार्थ भूमि, भवन, मशीन इत्यादि के क़य की स्वीकृति या उन्हें किराये पर लेने की स्वीकृति देना ।
- 21। जहाँ तक इस व्यवसाय का सम्बन्ध है, फेडरेशन के सदस्यों के बीच से विपणन पत्रिका का वितरण करना ।
- 22। उपविधियों के अन्तर्गत अंग पुरी बनाना ।
- 23। अधिनियमों, नियमों और उपविधियों के अधीन लाभान्वा की अदायगी तथा लाभ के निस्तारण का प्रस्ताव वार्षिक सामान्य बैठक के लिए तैयार करना ।
- 24। समय-समय पर जमा-धनराशि पर व्याज की दर का निर्धारण ।
- 25। फेडरेशन की संवैधिक जांच समीक्षा तथा जांच रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही करना ।

- 26। फेडरेशन की उपविधियों को ध्यात्त में रखते हुए सदस्यसंघों की निराहवायता कर देना तथा उनके व्यवसायों को बढ़ावा देना परामर्श देना अन्य भत्तों के लिए नियम बनाना ।
- 27। सामान्यतः फेडरेशन की नीतियों तथा व्यवसाय की देखभाल करना ।

- 28। फेडरेशन के उपयोगार्थ भूमि, भवन, मशीन इत्यादि के क़य की स्वीकृति या उन्हें किराये पर लेने की स्वीकृति देना ।

- 29। जहाँ तक इस व्यवसाय का सम्बन्ध है, फेडरेशन के सदस्यों के बीच से विपणन पत्रिका का वितरण करना ।

- 30। उपविधियों के अन्तर्गत अंग पुरी बनाना ।
- 31। अधिनियमों, नियमों और उपविधियों के अधीन लाभान्वा की अदायगी तथा लाभ के निस्तारण का प्रस्ताव वार्षिक सामान्य बैठक के लिए तैयार करना ।
- 32। समय-समय पर जमा धनराशि पर व्याज की दर का निर्धारण ।

- 33। फेडरेशन की संवैधिक जांच समीक्षा तथा जांच रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही करना ।

1. प्रबन्ध समिति उन प्राविधानों के अधीन चिते यह लाना चाहें समय-समय पर प्रबन्ध निदेशक की कितनी शक्तियों तथा कर्तव्यों को यदि प्रबन्ध निदेशक चाहता हो, फेडरेशन के कितनी अन्य अधिकारी को प्रतिनिधानित की जा सकती है लेकिन उपवाक्यांश संख्या क से च तक ट से ट तक तथा घ हस्ता-न्तरणीय नहीं है। परिषद के लिए निर्धारित कार्यों के निस्तारण हेतु कोई उप समिति नहीं होगी।

1. अन्य कार्य जो अधिनियम, नियम और उपनियमों तथा उपविधियों के अधीन उसे सौंपे जायें।

1. फेडरेशन की ओर, राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय सहकारी संस्थाओं से, साथ ही अन्य गैर सहकारी राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय संस्थाओं से सामग्री खरीदना

1. फेडरेशन के विभिन्न अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत आवश्यक अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन करना।

1. फेडरेशन के कर्मचारियों तथा आश्रितों के कल्याण हेतु कोष और न्यास की स्थापना करना।

1. अधिनियम, नियम तथा उपविधियों के अनुसार सामान्य त्रिकाय को कितनी सदस्य की बर्खास्तगी की संस्तुति करना।

1. उत्पाद के निर्माण, विपणन, उपार्जन से सम्बन्धित सेवा भार तथा अन्य बातों की दर का निर्धारण।

1. उत्पाद के तथा अन्य सहकारी इलाइड उत्पादों के दर निर्धारण नीति तय करना।

1. संघ की घल अवल सम्मति की नुकसान से सुरक्षा करना।

1. ट्रेडमार्क के उपयोग हेतु व्यय दर का अनुमोदन।

35. विरोध पैनल:- विशेषज्ञ पैनल में निम्नांकित सदस्य होंगे:-

111. फेडरेशन का प्रबन्ध निदेशक - अध्यक्ष

121. नियन्धक का प्रतिनिधि - सदस्य

131. फेडरेशन का सामान्य प्रबन्धक प्रशातक। - सदस्य

इसपैनल की संस्तुति के उपरान्त प्रबन्ध निदेशक स्टाफ की भर्ती के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा और पैनल उन सदस्यों पर भर्ती के लिए उत्तरदाय होगा जो कि केन्द्रीय कैंडिड प्राधिकरण अधिनियम की धारा-122-131 के अन्तर्गत आते हों।

प्र. निदेशक, फेडरेशन (मोडो)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

(Handwritten signature)

34- 1अ। फेडरेशन की बैठक सामान्य निकाय तथा निदेशक परिषद का संवादन अध्यक्ष करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित निदेशक गण बैठक के संवादन हेतु किसी को अध्यक्ष चुन सकते हैं ।

1ब। बैठक में चाहे वह सामान्य निकाय, निदेशक परिषद की या अन्य कोई बैठक हो, प्रत्येक उपस्थित सदस्य को एक मत होगा । सभी मामले यदि अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न हो तो बहुमत से निर्णीत होंगे । मत की बराबरी की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा । सिवाय चुनाव तथा नियुक्ति के ऐसे मामले मतों के बराबर होने पर लाट्री से निर्णित होंगे कोई भी व्यक्ति का अध्यक्ष उस बैठक का संवादन नहीं करेगा जिसमें उन मामलों पर वचन होनी हो जिसमें उसका हित निहित हो ।

प्रबन्ध निदेशक:-

35- 111 प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति जैसा अधिनियम में उल्लिखित है राज्य सरकार द्वारा की जायेगी वह प्रबन्ध समिति का पदेन सदस्य होगा ।

उपरोक्त पत्र द्वारा निदेशक (नॉन-एग्जिक्यूटिव) निदेशक, अखिल भारतीय किसान संघ का निर्वाह

121 प्रबन्ध निदेशक फेडरेशन का मुख्य कार्यालय अधिष्ठाती होगा और अधिनियम और उपविधियों के अधीन उसके निम्नांकित अधिकार होंगे ।

131 प्रशासन पर सामान्य नियंत्रण रखना और फेडरेशन के आचरण पर विशेष व्यवसाय प्रबन्ध और अन्य मामलों के लिए उत्तरदायी होगा ।

1ब। निदेशक परिषद तथा सामान्य निकाय की बैठक का संयोजन ।

1स। फेडरेशन की वार्षिक रिपोर्ट का आलेख तैयार करना ।

1द। परिषद या सामान्य निकाय के निर्देशों, सीमाओं तथा बजट के अन्तर्गत स्वीकृति देना । 1। कार्यकाल व्यय 12। व्यापारिक भंडार पर व्यय 13। अन्य व्यय संघ की ओर से प्रतिनिधि नोट और सरकारी एवं अन्तरिक्षयोरिब्रीज का पृष्ठांकन तथा हस्तांतरण एवं चेक का पृष्ठांकन और हस्तांतरण बैंक के साथ फेडरेशन का लेख संवादन ।

3. 131 फेडरेशन के कर्मचारियों तथा अधिकारियों जो अपना वेतन फेडरेशन से लेते हैं, के अधिकारों कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को प्रतिबिम्बित करना ।

1ब। फेडरेशन के कर्मचारियों एवं अधिकारियों जो फेडरेशन से वेतन लेते हैं, का स्थानान्तरण विधियों के अधीन उनके निम्नांकित अधिकार होंगे ।

1स। अधिकारियों के अलावा वेतन भोगी कर्मचारियों को नियुक्ति, निर्मित, बर्खास्त, पदसुप्त या दमिस्त करना और उन्हें ऐसी तुरन्त प्रदान करना जैसी की अनुपयुक्त हो ।

1द। फेडरेशन के सामान्य निकाय की बैठक का संवादन ।

1क। फेडरेशन की वार्षिक रिपोर्ट का आलेख तैयार करना ।

1ग। सामान्य निकाय के निर्देशों, सीमाओं तथा बजट के अन्तर्गत स्वीकृति देना । 1। कार्यकाल व्यय 12। व्यापारिक भंडार पर व्यय 13। अन्य व्यय संघ की ओर से प्रतिनिधि नोट और सरकारी एवं अन्तरिक्षयोरिब्रीज का पृष्ठांकन तथा हस्तांतरण एवं चेक का पृष्ठांकन और हस्तांतरण बैंक के साथ फेडरेशन का लेख संवादन ।

कार्यक्रम समिति:- 136 :-

- 131 निम्नांकित सदस्यों की एक कार्यक्रम की समिति होगी:-
- 111 संघ का प्रबन्ध निदेशक अध्यक्ष
- 121 मुख्य महाप्रबन्धक तदस्य
- 131 सम्बद्ध संघों के समस्त प्रबन्धक तथा महाप्रबन्धक " "
- 141 फेडरेशन के मुख्यालय पर गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य देखने वाला अधिकारी " "
- 151 महाप्रबन्धक, प्रबन्ध सेवा प्रभाग।मु०। " "
- 161 कार्यक्रम समिति निम्नांकित कार्य देखेगी:-

- 111 समय बद्ध उपलब्धि एवं विपणन नीतियाँ
- 121 प्रबन्ध के समस्त पहलुओं पर सदस्यसंगठनों को परामर्श देना तथा सहाय्य करना।
- 131 आगामी वर्ष हेतु उत्पादन कार्यक्रम तैयार करना और समय-समय पर समक्षा करना।
- 141 उपाजित/निर्मित होने वाले सामानों का न्यूनतम स्तर और फेडरेशन के माध्यम से विपणन करवा।
- 151 उत्पादन, उपचार और पैकिंग व्यय की दर निर्धारित करना, आंशदान एवं व्यापारिक ट्रेड मार्क की रॉयलटी की दर निर्धारित करना।
- 161 कच्चे माल तथा उत्पादित सामान की कीमत निर्धारित करना।
- 171 विपणन नीति।
- 181 औषधिक उत्पाद फल, सब्जी इत्यादि के अतिरिक्त कच्चे माल तथा प्रक्रियात्मक मदायों को सुलभ कराना।
- 191 सदस्यों की उत्पादकता बढ़ाने के उपयुक्त योजना तथा उन्हें लागू करना।
- 1101 शोध एवं विकास के उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करना।
- 1111 विपणन की दृष्टि से उत्पादन योजना तैयार करना।
- 1121 सदस्यों को वित्तीय, तकनीकी, प्रशासनिक एवं अन्य आवश्यक सहायता देना तथा संयुक्त ठेके के स्वरूप नामों की संस्तुति करना।
- 1131 मूल्य निर्धारण, नीति, लोका सञ्चित्य और तत्सम्बन्धी मामलों पर सलाह देना।

निदेशक

उत्पादन एवं व्यापक न्याय (म०स०)
संघ निदेशक, औद्योगिक न्याय, सचिव

1221

कार्यक्रम समिति यदि आवश्यक समझे तो किसी विशेष समस्या पर रिपोर्ट हेतु उप समिति बना सकती है और आवश्यकतानुसार फेडरेशन के सदस्यों में से विशेषज्ञों को चुन सकती है।

गुरूप पत्र और रजिस्टार:- 139। फेडरेशन समय-समय पर निबन्धक द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर तिथि अंकित करेगी। फेडरेशन के व्यवसायिक लेन-देन को अभिलिखित करने हेतु निम्नांकित लेखा पुस्तिकायें तथा रजिस्टर होंगे

- 13A। कार्यवाही पुस्तिका या पुस्तिकायें - सामान्य निकाय, निदेशक परिषद तथा अन्य समितियों या उपसमितियों की बैठक की कार्यवाही हेतु।
- 1B। आवेदन पत्र रजिस्टर फेडरेशन की सदस्यता हेतु जिसमें आवेदक का नाम पता, आवंटित शेयरों की संख्या इन्कार की दशा में निर्णय सूचित करने की तिथि।

1A। सदस्यों का रजिस्टर जिसमें उनका नाम, पता, प्रवेश तिथि लिये गये शेयरों की संख्या अदा की गई धनराशि, सदस्यता समाप्ति के कारण तथा तिथि होगी।

1B। प्रतिनिधियों का रजिस्टर:-

- 1A। रसीद पुस्तिका
- 1B। फेडरेशन में प्रत्येक सदस्य का बही खाता।
- 1C। रोज़ बही जिसमें दैनिक प्रगति तथा व्यय एवं प्रतिदिन का बकाया दर्ज किया जायेगा।
- 1D। बाउचर फाइल जिसमें फेडरेशन द्वारा व्यय के समस्त बाउचर रखे जायेंगे।
- 1E। एक सामान्य बही खाता जिसमें दैनिक प्रगति व्यय तथा बकाया तीसरे वार अंकित किया जायेगा।
- 1F। लाभो तथा बोनस रजिस्टर।
- 1G। अधिकारियों एवं कार्यवाहियों व नियुक्ति प्रतिनिधियों का रजिस्टर।
- 1H। ऐसे ही अन्य रजिस्टर और पुस्तिकायें जिन्हें परिषद को प्रबन्ध निदेशक या निबन्धक समान रूप से निर्धारित करें।

लाभ का वितरण:-
39 1A। वार्षिक शुद्ध लाभ से फेडरेशन द्वारा :-

निदेशक
उपनिवेशक
उपनिवेशक, श्रीवास्तव नरेश्वर
उपनिवेशक, लखनऊ

उपनिवेशक (4030)

101 उपविधियों में किया गया संगोपन तब तक लागू नहीं होगा जब तक अधिनियम और प्राविधानों के अन्तर्गत निबन्धक द्वारा इसे नियमित रूप से पंजीकृत न कर दिया जाय ।

चुनाव:-

43:- सहकारी समितियों में चुनाव से सम्बन्धित नियमों के अनुसार फेडरेशन चुनाव करयेगा ।

मिश्रित:-

44:- 1अ। सम्बद्ध सदस्यों की समितियों और संघ के बीच विवाद के मामले में फेडरेशन अधिनियम और नियमों, प्राविधानों के अधीन कार्यवाही करेंगे ।
1ब। फेडरेशन के परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा राज्य की शीर्ष स्तरीय सहकारी समिति अथवा राष्ट्रीय सहकारी समिति का सदस्य हो सकता है । प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी सदस्यता फेडरेशन के हित में हो और अधिनियम तथा नियमों के प्राविधानों से उसकी वृष्टि भी हाती है ।

45:- चुने हुए अध्यक्ष को हटाने के लिये अविश्वास का प्रस्ताव नियमों के प्राविधानों से नियमित होगा ।

46:- 1अ। नियम -65 में कथित एक या अधिक कागजातों की प्रमाणित प्रतियाँ उसी तरीके से और शुल्क के भुगतान पर अनिवार्य की जा सकती है जैसा अधिनियम अथवा नियम अथवा उपविधियों के समय-समय पर कहा गया । फेडरेशन का कोई सदस्य अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यालय अवधि के दौरान किसी समय फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक को प्राथना पत्र देकर ₹505/- शुल्क तक का भुगतान कर लेखा की जावे तथा संघ के अभिलेखों की जांच कर सकता है, केवल तभी जब वे सदस्य और फेडरेशन के साथ लेन देन से सम्बन्धित हो ।
1ब। फेडरेशन के पास एक मोहर होगी जिसमें फेडरेशन का नाम और सिन्ड्रेट का कोई भी अंकित होगा जैसा कि परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाय । यह मोहर प्रबन्ध निदेशक के अधिकार में होगी और परिषद के प्रस्ताव के प्राधिकार से उसको उपयोग किया जायेगा । केवल परिषद के प्राधिकार के अन्तर्गत किसी कागज या उपकरण पर जहाँ इतकी आवश्यकता हो परिषद के दो सदस्यों और प्रबन्ध निदेशक अथवा प्रबन्ध निदेशक उसी तरीके से और शुल्क के भुगतान पर अनिवार्य की जा सकती है जैसा अधिनियम अथवा नियम अथवा उपविधियों के समय-समय पर कहा गया । फेडरेशन का कोई सदस्य अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यालय अवधि के दौरान किसी समय फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक को प्राथना पत्र देकर ₹505/- शुल्क तक का भुगतान कर लेखा की जावे तथा संघ के अभिलेखों की जांच कर सकता है, केवल तभी जब वे सदस्य और फेडरेशन के साथ लेन देन से सम्बन्धित हो ।

47:- फेडरेशन के पास एक मोहर होगी जिसमें फेडरेशन का नाम और सिन्ड्रेट का कोई भी अंकित होगा जैसा कि परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाय । यह मोहर प्रबन्ध निदेशक के अधिकार में होगी और परिषद के प्रस्ताव के प्राधिकार से उसको उपयोग किया जायेगा । केवल परिषद के प्राधिकार के अन्तर्गत किसी कागज या उपकरण पर जहाँ इतकी आवश्यकता हो परिषद के दो सदस्यों और प्रबन्ध निदेशक अथवा प्रबन्ध निदेशक उसी तरीके से और शुल्क के भुगतान पर अनिवार्य की जा सकती है जैसा अधिनियम अथवा नियम अथवा उपविधियों के समय-समय पर कहा गया । फेडरेशन का कोई सदस्य अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यालय अवधि के दौरान किसी समय फेडरेशन के प्रबन्ध निदेशक को प्राथना पत्र देकर ₹505/- शुल्क तक का भुगतान कर लेखा की जावे तथा संघ के अभिलेखों की जांच कर सकता है, केवल तभी जब वे सदस्य और फेडरेशन के साथ लेन देन से सम्बन्धित हो ।

रखाने एवं बांध सार्वजनिक नगरपालिका समितियों के नियमों, शीर्ष स्तरीय सहकारी समितियों के प्राविधानों से नियमित होगा ।

फेडरेशन के पास एक मोहर होगी जिसमें फेडरेशन का नाम और सिन्ड्रेट का कोई भी अंकित होगा जैसा कि परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाय ।

स्थान पर पब्लिक द्वारा नियुक्त किये व्यक्ति की उपस्थिति में लगायी जा
विधि:- 48- इन उपस्थितियों की व्याख्या के लिए फेडरेशन मामले को निम्नलिखित को
सन्दर्भित करेगा जिला नियम अन्तिम तथा बान्धकारी होंगे ।

निदेश
व्यक्ति
पब्लिक
द्वारा
(01/01/2010)
संस्थापित
करेगा